

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित प्राध्यापक को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति-निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक, मय पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का कारण व अवधि	विदेश का नाम जहाँ यात्रा करनी है
1.	KASHI RAM (CHEMISTRY) GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UTTRADABAS (214657), HANUMANGARH	15-04-2023 TO 19-04-2023 (TOTAL 4 DAYS) PERSONAL REASON	THAILAND BANGKOK
2.	POONAM MATHUR (BIOLOGY) MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MALVIYA NAGAR (218309), JAIPUR	01-06-2023 TO 11-06-2023 (TOTAL 11 DAYS) PERSONAL REASON	HANOI VIETNAM
3.	BHARTI CHOUDHARY (Home Science) MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL GOVINDGARH (218486), JAIPUR	14-04-2023 TO 22-04-2023 (TOTAL 09 DAYS) PERSONAL REASON	THAILAND, BANGKOK
4.	SUREKHA YADAV(BIOLOGY) MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL LUNIYAWAS (218988), JAIPUR	15-04-2023 TO 21-04-2023 (TOTAL 7 DAYS) PERSONAL REASON	THAILAND, BANGKOK

- विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी. सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- उक्त कार्मचारी सक्षम अधिकार से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान जहां-जहां पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
- (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas

Designation : Joint Director Personnel

Date: 2023.04.06 18:56:38 IST

Reason: Approved

विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।

- (ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- (स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हों।
- (द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/विदेश यात्रा अनुमति/2022

दिनांक:- 06.4.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य.....।
4. संबंधित कार्मिक.....।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar
Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.04.06 18:56:38 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा / पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही है। यदि इनका उक्त पद हेतु चयन हो जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। यदि इनका चयन उक्त सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोड़ने से पूर्व पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है।

क्र० स०	आवेदन क्रमांक	नाम मय पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सम्मिलित होने वाली परीक्षा/साक्षात्कार/पद हेतु आवेदन
1.	102511	RAJENDRA PRASAD GORA, GSSS LALASAR (218507) KISHANGARH RENWAL, JAIPUR (RJJP201518015908)	GEOGRAPHY	10-07-1980	NATIONAL COUNCIL OF EDUCATION RESEARCH AND TRAINING द्वारा आयोजित, विज्ञप्ति संख्या 172/2022, Assistant Professor परीक्षा / साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु।

क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अनापत्ति/2023

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), स्कूल शिक्षा.....।
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. संबंधित संस्थाप्रधान राउमावि/राबाउमावि.....।
4. संबंधित कार्मिक.....।
5. रक्षित पत्रावली.....।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 06/04/2023

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

सत्यमेव जयते

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar
Vyas

Designation : Joint Director Personnel

Date: 2023.04.06 18:49:22 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3594974



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित प्राध्यापक को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति-निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मिक, मय पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का कारण व अवधि	विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है
1.	KASHI RAM (CHEMISTRY) GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UTTRADABAS (214657), HANUMANGARH	15-04-2023 TO 19-04-2023 (TOTAL 4 DAYS) PERSONAL REASON	THAILAND BANGKOK
2.	POONAM MATHUR (BIOLOGY) MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MALVIYA NAGAR (218309), JAIPUR	01-06-2023 TO 11-06-2023 (TOTAL 11 DAYS) PERSONAL REASON	HANOI VIETNAM
3.	BHARTI CHOUDHARY (Home Science) MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL GOVINDGARH (218486), JAIPUR	14-04-2023 TO 22-04-2023 (TOTAL 09 DAYS) PERSONAL REASON	THAILAND, BANGKOK
4.	SUREKHA YADAV(BIOLOGY) MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL LUNIYAWAS (218988), JAIPUR	15-04-2023 TO 21-04-2023 (TOTAL 7 DAYS) PERSONAL REASON	THAILAND, BANGKOK

- विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकार से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान जहां-जहां पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
- (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas

Designation : Joint Director Personnel

Date: 2023.04.06 13:56:38 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3596591



Scanned with Oken Scanner

- विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
- (ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- (स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हों।
- (द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/विदेश यात्रा अनुमति/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक:- 06/04/2023

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य.....।
4. संबंधित कार्मिक.....।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar
Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.04.06 18:56:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3596591



Scanned with Oken Scanner